Implementation of Pancliayati Raj Bodies by States

2547. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number and names of State Governments that have already implemented legislation relating to the establishment of the Panchayati Raj bodies in pursuance of the 73rd and 74th amendments to the Constitution;

(b) the names of the States which nave till now failed to implement the Constitutional amendments; and

(c) the steps Government propose to take with respect to the States which have failed to meet the Constitutional obligation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UT-TAMBHAI H. PATEL): (a) All the States where the provisions of 73rd and 74th amendments to the Constitution are applicable have already implemented legislation relating to establishment of Panchayati Raj bodies and Municipalities.

(b) and (c) Do not arise.

लघु उद्योगों की ऋण आवश्यकताएं

2548. **श्री राम जेठमलानी** :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किये गये एक विश्लेषण से यह पता चला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की हिदायतों के बावजूद राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा लघु तथा अति लघु उद्योगों की ऋण संबंधी आवश्यकतायें पूरी नहीं की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऋण देने में भारतीय रिजर्व बैंक के किन-किन निर्देशों की अनदेखी की गई,

(ग) क्या बैंकों द्वारा लघु एवं ग्रामीण कुटीर उद्योगों को उनके उत्पादन के ऋण के रूप में कार्यशील पूंजी के रूप में मात्र 8.2% तथा 2.7% ही दिया जा रहा है, और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और ऐसे उद्योगों के आर्थिक संकट के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए संरथागत ऋण की पर्याप्तता की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नायक समिति के नाम से जानी जाने वाली श्री पी. आर. नायक, उप गवर्नर की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 1992 में दी थी तथा बताया था कि लघु उद्योगों की बैंकीय वित्त पोषण की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन का 20% उचित माना जाना चाहिए। इसके प्रति, कार्यशील पूंजी के बैंकीय वित्त पोषण की रूपरेखा से पता लगा कि लघु उद्योग क्षेत्र को समग्र रूप से अपने उत्पादन का 8.1% की कार्यशील पूंजी के रूप में प्राप्त हुआ। उनमें से ग्रामीण उद्योगों तथा अपेक्षाकृत अति लघु उद्योगों को अपने उत्पादन का 2.7% ही कार्यशील पूंजी के रूप में प्राप्त हो सका। अत: रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित बैंकों को निर्देश दिया है कि वे लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामीण उद्योगों, अति लघु उद्योगों , तथा इस प्रकार की अन्य छोटी इकाइयों को प्राथमिकता दें। बैंकों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे उन ग्रामीण उद्योगों, अति लघु उद्योगों तथा अन्य लघु क्षेत्र के एककों की ऋण आवश्यकताओं की गणना उनके अनुमानित वार्षिक उत्पादन के 20% के आधार पर करें, जिनकी बैंक प्रणाली से समग्र फंड आधारित कार्यशील पूंजी की सीमा 1 करोड़ रुपये से कम है। यह वर्तमान तथा नये दोनों एककों के लिए लागू है। बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण का कम से कम 40% भाग कुटीर उद्योगों, खादी तथा ग्रामोद्योगों, शिल्पकारों अतिलघु उद्योगों (जिनका संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश 5 लाख रुपये तक हैं) अथवा 5 लाख रुपये की सीमा तक ऋण लेने वाली अन्य लघु क्षेत्र इकाइयों को स्वीकृत किया जाए।

Cadre Review of Technical Posts

2549. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had undertaken a cadre review of the technical posts of Autonomous Re-